COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(9)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2018 निगरानी

BR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा/2018/1473

ओमप्रकाश पिता श्रीनाथ राजौरिया, निवासी तह. सीतामऊ, जिला मंदसौर —— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर —— अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सीतामऊ के प्र.क्र. 106/बी–121/2016–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 30–12–2017 के विरूद्ध यह निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा/2018/1473

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री ए0आर0यादव द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के पूर्व पीठसीन अधिकारी के द्वारा अतिक्रमण प्रकरण में पारित आदेश के पुनरावलोकन हेतु अनुमति अना0 सुधीर भार्गव के आवेदन पर ही प्राप्त कर प्रकरण को सुनवाई में लिया गया अत: सुधीर भार्गव द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है। अध्यक्ष	